न्यायालय संख्या–1

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ

उपस्थितः– मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।

दावा याचिका संख्या–1862/2025

सतीश कुमार राणा, (पीएनओ–950740012) उप निरीक्षक (लिपिक) आयु लगभग 52 वर्ष, पुत्र श्री जिले सिंह राणा, निवासी निकट कोतवाली चिनहट, बुद्व बिहार कालोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

..... याची

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 सिविल सचिवालय,लखनऊ।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक, चित्रकूट धाम, सर्किल बांदा, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस अधीक्षक, बॉदा, उत्तर प्रदेश।

..... विपक्षीगण

श्री मनोज कुमार यादव, ,याची के अधिवक्ता।
श्री पारिजात मिश्र, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विपक्षीगण की ओर से।

निर्णय

(द्वारा मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।)

याची की ओर से यह याचिका उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत दण्डादेश दिनांकित 23–04–2025 एवं अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 01–09–2025 जो पत्रावली पर कमशः संलग्नक संख्या–1 एवं 2 के रूप में मौजूद हैं को निरस्त करने एवं इन आदेशों के आधार पर रोके गये सेवा सम्बन्धी समस्त पारिणामिक लाभ दिये जाने हेतु दिनांक 17–10–2025 को प्रस्तुत की गयी।

आदेश दिनांकित 23–04–2025 द्वारा विपक्षी संख्या–3–पुलिस अधीक्षक जनपद–बॉदा ने याची को परिनिंदा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया, उक्त दण्डादेश के विरूद्व याची द्वारा दाखिल अपील विपक्षी

संख्या–2–पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बॉदा द्वारा आदेश दिनांकित 01–09–2025 द्वारा द्वारा निरस्त की गयी।

2– तथ्य के अनुसार विपक्षीसंख्या–3–पुलिसअधीक्षक, जनपद–बॉदा ने कारण बताओ नोटिस दिनांकित 26–03–2025 जारी करते हुए याची को निम्न आरोप से आरोपित किया–

> ''जब आप वर्ष 2023 में जनपद बांदा में पेंशन लिपिक के पद पर नियुक्त थे तो उर्दू अनुवादक लुकमान, जो दिनांक 31.10.2023 को सेवानिवृत्त हुए थे, का पेंशन प्रस्ताव आपके द्वारा पुलिस मुख्यालय भेजा गया था। पुलिस मुख्यालय लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–चार–5009–2023 दिनांक 17.11.2023 द्वारा वेतन त्रुटिपूर्ण होने के कारण वेतन संशोधन कर पेंशन प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपदीय वेतन कमेटी द्वारा वेतन परीक्षण करने पर वर्ष 2010 से वेतन त्रुटिपूर्ण होना पाते हुए वेतन संशोधित किया गया, जिसके फलस्वरूप रू0 1,83,223–00 का समायोजन/वसूली उर्दू अनुवादक लुकमान के देयकों से किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व उर्दू अनुवादक लुकमान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–5292/2023 योजित की गयी, जिसको निर्णित करते हुए स्टेट आफ पंजाब बनाम् रफीक मसील 2015(4)एसएससी 334 का हवाला देते हुए वसूली रोके जाने के निर्देश दिये। प्रश्नगत प्रकरण की प्रारम्भिक जॉच क्षेत्राधिकारी सदर, बांदा से करायी गयी तो जॉच से आपके द्वारा पेंशन प्रस्ताव को बिना परीक्षण किये वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय लखनऊ भेजने का दोषी पाया गया।''

3– उक्त नोटिस की प्रति दिनांक 03–04–2025 को प्राप्त करने के बाद याची ने अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांकित 07–04–2025 को प्रस्तुत किया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रारम्भिक जांच आख्या का अवलोकन कर आदेश दिनांकित 23–04–2025 पारित कर विपक्षीसंख्या–3–पुलिस अधीक्षक, जनपद–बॉदा द्वारा याची को परिनिंदा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया, इस दण्डादेश के विरूद्व याची की अपील विपक्षीसंख्या–2–पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बॉदा के आदेश दिनांकित 01–09–2025 द्वारा निरस्त किए गए।

4– जांच अधिकारी के समक्ष याची द्वारा अपने बयानों में कहा गया कि वह माह अक्टूबर, 2023 से प्रधान लिपिक कार्यालय में नियुक्त होकर माह नवम्बर, 2023 से पेंशन सम्बन्धी कार्य देख रहा है। दिनांक 31–10–2023 को उर्दू अनुवादक लुकमान जनपद–बॉदा से सेवानिवृत्त

हुए थे जिनका पेंशन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 01–11–2023 को मुख्यालय भेजा गया जो पुलिस मुख्यालय लखनऊ ने अपने पत्र दिनांकित 17–11–2023 द्वारा वेतन त्रुटिपूर्ण होने के कारण वेतन संशोधित कर पेंशन प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करते हुए वापिस किया जिसके कम में वेतन पत्र संख्या– प–4/22 दिनांक 12–01–2024 द्वारा कमेटी के माध्यम से संशोधित कर दिया गया तथा आंकिक द्वारा 1,83,223 रूपये की वसूली ड्यू ड्रान चार्ट उपलब्ध कराया गया तथा पेंशन में संशोधन करते हुए दिनांक 06–02–2024 को मुख्यालय प्रेषित कर दिया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांकित 28–02–2024 द्वारा याची की पेंशन स्वीकृत कर दी गयी। वसूली के विरूद्व उर्दू अनुवादक लुकमान रिट पिटीशन प्रस्तुत करके माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश दिनांकित 15–04–2024 अनुपालन हेतु लाये जिसके कम में पत्र दिनांकित 15–07–2024 के अनुसार की गयी वसूली की धनराशि को वापिस किये जाने का आदेश पारित किया गया। वेतन विसंगति वर्ष 2010 से हुई थी। नोटिस के जवाब में याची द्वारा कहा गया कि उर्दू अनुवादक लुकमान का पेंशन प्रस्ताव दिनांक 01–11–2023 को उससे पूर्व तत्कालिक प्रधान लिपिक श्री गनौरी सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री नितिन कुमार के परीक्षणोपरान्त प्रेषित किया गया था, उसके द्वारा तो मात्र कमेटी के परीक्षणोपरान्त संशोधित पेंशन प्रस्ताव दिनांक 06–02–2024 को प्रेषित किया गया था। जांच अधिकारी ने बिना यह देखे कि न तो वह दिनांक 01–11–2023 को पेंशन का कार्य देख रहा था, न ही उसके द्वारा पेंशन प्रस्ताव तैयार किया गया था उसे बिना किसी उचित साक्ष्य के दोषी मान लिया गया।

5– याची पक्ष से यह भी तर्क लिया गया कि दण्डादेश में न तो याची के बयानों तथा स्पष्टीकरण में उल्लिखित तर्को को अंकित किया गया न ही निष्कर्ष तक पहुॅचने का कारण ही अंकित किया गया, अतः प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 23–04–2025 एवं इसके पश्चात्वर्ती पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 01–09–2025 को विधि विरूद्व एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण उन्हें निरस्त करने तथा याचिका को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6– विपक्षी पक्ष से याची के कथनों का समर्थन करते हुए कहा गया कि पत्रावली के अनुसार याची द्वारा मात्र दूसरा प्रस्ताव भेजा गया जो कि

संशोधित प्रस्ताव था, अतः याची पर लगाये गये आरोप साक्ष्य के विरूद्व है।

7— उपरोक्त अभिकथनों पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के कथनों को सुनने एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुॅचती हूॅ—

8— याची पर आरोप है कि जब याची जनपद—बॉदा में पेंशन लिपिक के पद पर नियुक्त था, दिनांक 31—10—2023 को सेवानिवृत्त हुए उर्दू अनुवादक मोहम्मद लुकमान का पेंशन प्रस्ताव उसके द्वारा पुलिस मुख्यालय भेजा गया जो कि पुलिस मुख्यालय लखनऊ के पत्र दिनांकित 17—11—2023 द्वारा वेतन त्रुटिपूर्ण होने के कारण वेतन संशोधित कर पेंशन प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु वापिस किया गया। वर्ष 2010 से वेतन त्रुटिपूर्ण पाते हुए उसे संशाधित किया गया। 1,83,223/— रूपये की वसूली सम्बन्धी आदेश होने पर उर्दू अनुवादक लुकमान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उक्त वसूली राशि वापिस किए जाने का आदेश प्राप्त किया गया। अतः याची को पेंशन प्रस्ताव को बिना परीक्षण किये वित्त नियन्त्रक को भेजे जाने का दोषी पाया गया।

9— अभिलेखों से स्पष्ट है कि वर्ष 2010 में स्वीकृत रूप से याची चरित्र पंजिका लिपिक के पद पर आसीन नही था। स्वीकृत रूप से याची की नियुक्ति जनपद—बॉदा में अक्टूबर, 2023 से हुई, अतः वर्ष 2010 से वेतन विसंगति का न तो याची को दोषी कहा जा सकता है एवं न ही यह आरोप ही याची पर है। याची पर आरोप है कि उसने उर्दू अनुवादक लुकमान का पेंशन प्रस्ताव बिना परीक्षण किये वित्त नियन्त्रक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को भेजा। अपनी साक्ष्य में जांच अधिकारी के समक्ष याची ने दिनांक 01—11—2023 को उर्दू अनुवादक लुकमान का पेंशन प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय भेजा जाना बताया किन्तु प्राप्त नोटिस के स्पष्टीकरण में उसने यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि दिनांक 01—11—2023 को पुलिस मुख्यालय को जो पेंशन प्रस्ताव उर्दू अनुवादक लुकमान का प्रेषित किया गया था वह उसके पूर्व तत्कालिक प्रधान लिपिक श्री गनौरी सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय लिपिक श्री नितिन कुमार के परीक्षणोपरानत प्रेषित किया गया था। उसके द्वारा मात्र संशोधित प्रस्ताव कमेटी के परीक्षणोपरानत दिनांक 06—02—2024 को प्रेषित किया गया, अतः पेंशन प्रस्ताव उसके द्वारा प्रेषित न किये जाने के कारण उस प्रस्ताव को बिना परीक्षण किये पुलिस मुख्यालय भेजे जाने का उसे दोषी नहीं कहा जा सकता। जहॉ विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

द्वारा याची पक्ष के तर्को को स्वीकार किया गया कि उर्दू अनुवादक लुकमान का पेंशन प्रस्ताव दिनांकित 01–11–2023 याची द्वारा प्रेषित नही किया गया, वहीं यदि दण्डाधिकारी के आदेश दिनांकित 23–04–2025 का अवलोकन किया जाये तो उक्त आदेश में याची के स्पष्टीकरण बयानों का कोई अंकन एवं विवेचन नही किया गया, न ही निष्कर्ष तक पहुॅचने का कोई कारण अंकित किया गया। आदेश में मात्र यह अंकित किया गया कि उप निरीक्षक (लिपिक) द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों का मेरे द्वारा गहनता से परिशीलन एवं मनन करने के उपरान्त उप निरीक्षक (लिपिक) का उपरोक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाया गया। इस प्रकार उक्त दण्डादेश में याची के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में मात्र एक पंक्ति का आदेश किया गया है।

10– डी0जी0 परिपत्र संख्या 29/2022 दिनांकित सितम्बर 14, 2022, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर विस्तार लखनऊ में समस्त पुलिस अधिकारियों व सेनानायकों को यह निर्देश दिया गया कि दण्डादेश पारित करते समय दण्डाधिकारी आरोपित अधिकारी/कर्मचारी के स्पष्टीकरण में उल्लिखित सभी तर्को, बिन्दुओं पर टिप्पणी करते हुए मुखरित एवं स्पष्ट आदेश पारित करेंगे केवल यह लिखकर इतिश्री नही की जायेगी कि आरोपित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत तर्क बलहीन/मान्य नही है।

11– नजीर **G.Valli Kumari Versus Andhra Educatio Society and others (2010) 1 Supreme Court Cases (L&S) 406** के चरण–19 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्न सिद्वान्त भी यहां उल्लेखनीय है–

> **"The requirement of recording reasons by every quasi judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facets of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the concerned authority. "**

12– पुलिस परिपत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के प्रकाश में देखा जाये तो प्रश्नगत दण्डादेश में दण्डाधिकारी ने न तो याची की साक्ष्य या स्पष्टीकरण में अंकित तर्को व बचाव का अंकन किया है न ही निष्कर्ष तक पहुॅचने का कोई कारण ही अंकित किया है, इसलिए प्रश्नगत आदेश एक मौन व अकारण पारित आदेश है, अतः

आदेश दिनांकित 23–04–2025 तथा इसके पश्चात्वर्ती पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 01–09–2025 विधि–सम्मत एवं नियमानुकूल न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। तदनुसार याची की याचिका स्वीकार होने योग्य पायी हाती है।

आदेश

याची की याचिका स्वीकार की जाती है। विपक्षीसंख्या–3–पुलिस अधीक्षक, जनपद–बॉदा, द्वारा पारित दण्डादेश दिनांकित–23–04–2025 एवं विपक्षीसंख्या–2–पलिस उप महानिरीक्षक, चित्रकूटधाम, सर्किल बॉदा, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 01–09–2025 जो पत्रावली पर कमशः संलग्नक संख्या–1 एवं 2 के रूप में मौजूद हैं निरस्त किये जाते हैं। इन आदेशों के आधार पर रोके गये सेवा सम्बन्धी समस्त लाभ याची नियमानुसार पाने का अधिकारी है। इस निर्णय का अनुपालन विपक्षीगण द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर सुनिश्चित हो।

उभयपक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेगे।

ह0
(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0
(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

दिनांक : 19–08–2026
आरपी/पीएस